ORDER SHEET

THE COURT SCLOK – 01/25

ScLok01 /2025

विपुस्था लोकायुक्त इंदौर विरूद्ध आर.सी.उपाध्याय,आर.एस.चौहान,बी.आर.नरवरिया

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27-05-2025	विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर की ओर से निरीक्षक प्रतिभा तोमर ने उपस्थित होकर अभियुक्तगण क्र. (1) राजेन्द्रसिंह चौहान पिता बटनलाल चौहान उम्र 56 वर्ष निवासी पटवारी कॉलोनी, शुगर फैक्ट्री चौराहा सीहोर मप्र तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उपसंभाग खरगोन (2) बाबूराम परवरिया पिता बेदरी प्रसाद नरवरिया उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम अगनू कापूरा पोस्ट गोहद पहगना जिला भिण्ड तहसील गोहर मप्र तत्कालीन भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी विकास खण्ड बड़वाह एवं महेश्वर जिला खरगोन (3) राधाचरण उपाध्याय पिता रामजीलाल उपाध्याय मृत उम्र 69 वर्ष निवासी ग्राम जौरी खुर्द जिला मैरेना मप्र तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खरगोन के विरूद्ध अपराध क्र. 36/2019, अंतर्गत धारा 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा धारा 409,120–बी भा.द.वि. के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। लोकायुक्त कार्यालय इंदौर की ओर से अभियुक्त राधाचरण उपाध्याय पिता रामजीलाल उपाध्याय निवासी ग्राम जौरी खुर्द का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया । प्रकरण के साथ संलग्न हो । अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन अनुज्ञा प्रदत्त की गयी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में उपबंधित नवीन	[handwritten signatures] 27.5.25

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	संशोधन दिनांक 26.07.2018 से लागू है, जबकि यह मामला वर्ष 01.01.2012 से 31.07.2018 में घटित अपराध से संबंधित है अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध संशोधन के पूर्व की धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं धारा 409, 120-बी भा.द. वि. के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण विधिवत् पंजीबद्ध किया जावे। न्यायालय को पूर्व में प्राप्त एफ.आय.आर. की काउंटर प्रति अभियोग पत्र के संलग्न की जावें। अभियुक्तगण को अभियोगपत्र प्रस्तुत किये जाने का नोटिस वि.पु.स्था. लोकायुक्त इंदौर की ओर से दिया गया था, जिसके पालन में अभियुक्त (1) राजेन्द्रसिंह चौहान पिता बटनलाल चौहान आज उपस्थित, उसकी ओर से श्री मनीष यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकील पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त बाबूराम परवरिया को अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने का नोटिस दिया गया था जो तामिल उपरान्त इस न्यायालय को प्राप्त हूआ किन्तु आज अभियुक्त बाबूराम परवरिया उपस्थित नही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत अमनप्रीतसिंह विरूध्द सी.बाई.आई.क्रिमिनल अपील क्रमांक 929/2021 आदेश दिनांक 02.09.2021 में जारी निर्देशानुसार अभियुक्त बाबूराम परवरिया को समंस से तलब किया जावे । अभियुक्त के उपस्थित होने पर उसे अभियोग पत्र की नकलें प्रदान की जावे । अभियुक्त राजेन्द्रसिंह चौहान के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध अजमानतीय प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त राजेन्द्रसिंह चौहान को अभियोगपत्र एवं उसके संलग्न प्रलेखों की प्रतिलिपियॉ प्रदान की गयी एवं प्राप्ति आदेश पत्रिका पर ली गयी। प्रकरण अभियुक्त बाबुराम की उपस्थिति हेतु दिनांक 10-6-2025 को पेश हो । विशेष न्यायाधीश, भ्र.नि.अधि प नि. मण्डलेश्वर	

SC(OK 1)/2025

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	पुनश्च– अभियुक्त राजेन्द्र की ओर से श्री मनीष यादव अधिवक्ता ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.का प्रस्तुत किया, जिसे आई.ए.नं. 1/2025 से अंकित किया गया। जमानत आवेदन पत्र की प्रतिलिपि विशेष अपर लोक अभियोजक श्री प्रकाश सोलंकी को प्रदान की गयी। उभयपक्ष को जमानत आवेदन पर सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया। अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन में निवेदन किया गया कि अभियुक्त ने कथित अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह परिवार का कर्ता सदस्य है, अभिरक्षा में भेजे जाने से उस पर आश्रित परिवार को परेशानियों का सामना करना पडेगा। अभियुक्त को विवेचक के द्वारा जमानत का लाभ देते हुए उन्मुक्त कर दिया गया था, उसने अन्वेषण में सहयोग किया है और जमानत की शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। घटना दिनांक से अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने तक उसे कभी भी निरोध में नहीं रखा गया। वह साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। प्रकरण के निराकरण में अत्यधिक समय लगने की संभावना है। अभियुक्त कहीं भागकर जाने वाला नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने एवं प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने हेतु तत्पर है। अतः उसे योग्य जमानत पर रिहा किया जावें। अभियोजन की ओर से श्री प्रकाश सोलंकी विशेष लोक अभियोजक ने मामले को गंभीर बताते हुये जमानत आवेदन का विरोध किया है। उभयपक्ष के तर्क पर विचार कर अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभियोजन के अनुसार निर्माण एजेंसी सहायक भू संरक्षण अधिकारी खरगोन द्वारा खरगोन जिले के भिन्न विकास खण्डों में कुल 354 कपिल धारा कूप निर्माण पर ऑन लाईन अनुसार राशि 47784508/– रूपये व्यय किया गया एवं मूल्याकंन अनुसार कूपों पर वास्तविक व्यय राशि 51205873/–रूपये का होना पाया गया। उक्त 354 कपिलधारा कूपों में से 151 कपिलधारा कूपों के व्यय अधिक तथा वास्तविक मूल्याकंन कम पाया गया जब कि 3 कपिलधारा कूपों का निर्माण अस्तित्व में ही नहीं पाया गया एवं 176 कपिलधारा कूपों पर ऑनलाईन व्यय कम किन्तु वास्तविक मूल्याकंन अधिक होना पाया गया	

विशेष न्यायाधीश, भ्र.नि.अधि
प नि. मण्डलेश्वर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	तथा 19 कपिलधारा कूपों के कार्यो का ऑन लाईन व्यय एवं वास्तविक मूल्याकंन लगभग समान पाया गया तथा 5 कपिलधारा कूपों के कार्यो पर पूर्व से ही व्यय निरंक दर्शाये जाने से वास्तविक मूल्याकंन भी निरंक पाया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को खरगोन जिले के 3 तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, 06 तत्कालीन कृषि विकास अधिकारी,एवं 08 तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी इस प्रकार कुल 17 अधिकारियों में से 2 अधिकारी मृत होने से कुल 15 जिम्मेदार अधिकारियों के नाम लेख कर उनके विरूध्द अनुशसनात्मक कार्यवाही हेतु अभिमत दिया गया। खरगोन जिले के विकासखण्ड बड़वाह के कुल 121 कपिलधारा कूपों मे से 41 कपिलधारा कूपो पर ऑन लाईन व्यय अधिक एवं मूल्याकंन कम होना पाया गया एवं 77 कपिलधारा कूपों में ऑन लाईन अनुसार व्यय कम एवं कार्य अधिक होना पाया गया तथा 2 कपलिधारा कूपों पर ऑन लाईन व्यय एवं मौके पर कार्य का वास्तविक मूल्याकंन समान पाया गया। 01 कपिलधारा कूप हितग्राही सुरेश पिता नानूराम निवासी ग्राम रूपाला तहसील बड़वाह का मौके पर नहीं पाया गया, उक्त कपिलधारा कूप पर राशि 21377/-रूपये का ऑन लाईन व्यय दर्शाया गया है। विकास खण्ड बड़वाह के कुल 121 कपिलधारा कूपों में से 41 कपिलधारा कूपों पर निर्माण एजेंसी द्वारा ऑन लाईन व्यय 7820847/-रूपये दर्शाया गया है। जॉच में उक्त कपिलधारा कूपों का वास्तविक मूल्याकंन 5986477/-रूपये का होना पाया गया । इस प्रकार निर्माण एजेंसी द्वारा 41 कपिलधारा कूपों पर कार्य की अपेक्षा 18,34,370/-रूपये का अधिक व्यय किया गया । विकास खण्ड बड़वाह में स्वीकृत कुल 121 कपिलधारा कूपों मे से जिन 77 कपिलधारा कूपों पर ऑन लाईन व्यय की अपेक्षा कार्य अधिक होना पाया गया। इस संबंध में जांच अधिकारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग खरगोन द्वारा मौके पर जाकर पंचना में बनाये गये जिसमें पाया गया कि हितग्राहियों द्वारा स्वयं के व्यय से कूपों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2018 में निर्माण में निर्माण एजेंसी सहायक भू संरक्षण अधिकारी खरगोन द्वारा उक्त कपिलधारा कूपों में कार्य प्रगतिरत होना ऑन लाईन दर्शाते हुए मजदूरों की डिमाण्ड की गयी। जिस पर से जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन से वर्ष 2018 में	

21/10

विशेष न्यायाधीश, भ्र.नि.अधि
प्र नि. मण्डलेश्वर

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	ऑन लाईन डिमाण्ड के आधार पर मस्टर रोल निर्माण एजेंसी को जारी किये गये,उक्त मस्टर रोल वापस आने पर जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन में उक्त मस्टरों की ऑन लाईन फिलिंग की गई। जिससे स्पष्ट है कि धारा कूपों के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर बनाये गये पंचना में के अनुसार हितग्राहियों द्वारा स्वयं के व्यय से कूपों का निर्माण कराया जाना पाया गया तो निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त कूपों पर वर्ष 2018 में ऑन मस्टर मजदूरों की डिमाण्ड दर्शाकर ऑन लाईन मस्टर रोल जारी करवाकर मजदूरों से कार्य करवाया जाना फर्जी रूप से दर्शाते हुए राशि आहरित की गयी है । जांच उपरांत यह भी पाया गया कि जब हितग्राहियों द्वारा स्वयं के व्यय पर कूपों ि मर्नाण किया गया था तो हितग्राहियों को उनके द्वारा कराये गये कार्य के एवज में राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पदीय दायित्वों को लोप/पद का दुरूपयोग करते हुए आपराधिक षड़यंत्र में संगमत होकर विकास खण्ड बड़वाह में कपिलधारा कूपों पर कार्य की अपेक्षा अधिक व्यय कर,अवैध लाभ अर्जित करने हेतु शासकीय राशि का गबन एवं आपराधिक दुर्विनियोग किया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण के द्वारा संगनमत होकर शासकीय धन का आपराधिक दुर्विनियोग किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त राजेन्द्रसिंह, बाबूराम एवं राधाचरण के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर के द्वारा अपराध क्रमांक 36/2019 अंतर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 409, 120-बी भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण एवं केस डायरी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा पत्र क्र. 3917 दिनांक 06/04/2017 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग खरगोन को कपिल धारा कूपों का भौतिक वित्तीय एवं मूल्यांकन की विस्तृत जांच स्थल परीक्षण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुसार निर्माण एजेंसी सहायक भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा विभिन्न विकासखंडों में कुल 354 कपिल धारा कूप निर्माण पर ऑनलाईन अनुसार राशि 47784508/- रूपये व्यय किया गया था एवं कूपों पर वास्तविक व्यय की राशि 51205873/- रूपये का होना पाया गया। उक्त 354 कपिल धारा कूपों में से 151 कपिल धारा कूपों के कार्य पर व्यय अधिक तथा	

विशेष न्यायाधीश, भ्र.नि.अधि
प नि. मण्डलेश्वर

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	वास्तविक मूल्यांकन कम पाया गया तथा 03 कपिल धारा कूपों का निर्माण अस्तित्व में ही नहीं पाया गया तथा 176 कपिल धारा कूपों का ऑनलाईन व्यय कम, किंतु वास्तविक मूल्यांकन अधिक होना पाया गया एवं बडवाह के कुल 121 कपिल धारा कूपों पर ऑनलाईन व्यय अधिक एवं मूल्यांकन कम होना पाया गया एवं 77 ऑनलाईन कूपों में ऑनलाईन अनुसार व्यय कम और कार्य अधिक होना पाया गया। विकासखंड बडवाह के कुल 121 कपिल धारा कूपों में से 41 कपिल धारा कूपों पर निर्माण एजेंसी द्वारा ऑनलाईन व्यय 7820847/— रूपये दर्शाया गया। जांच में उक्त कपिल धारा कूपों का मूल्यांकन 5986477/— रूपये का होना पाया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में पद का दुरूपयोग करते हुये आपराधिक षडयंत्र में संगनमत होकर अवैध लाभार्जन के उद्देश्य से उपरोक्त कूप निर्माणों में वास्तविक व्यय से अधिक व्यय किया जाकर शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई है। इस प्रकार आवेदकगण के द्वारा शासकीय धन का आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है। यह प्रकरण आर्थिक अपराध एवं पद के दुरूपयोग से संबंधित है, जिसमें बड़ी राशि का गबन करना बताया गया है, जिससे उसकी अपराध में प्रथमदृष्टया संलिप्तता प्रकट होती है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्रसिंह चौहान को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त राजेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार योग्य ना होने से निरस्त किया जाता है। अभियुक्त राजेन्द्र सिंह का जेल वारंट बनाया जाकर उपजेल मंडलेश्वर भेजा जाये। केस डायरी वापस की जाये। प्रकरण पूर्ववत् अभियुक्त बाबूराम की उपस्थिति हेतु नियत दिनांक 10.6.2024 को पेश हो। राजकुमार चौहान विशेष न्यायाधीश, भ्र.नि.अधि. पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	